

यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 128 / 2019

तारीखरजु:-

उनवान:- श्रीहनलाल बनाम नत्थी वगै०

बावत डिवीजन आफ होलिंग व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत घारा 53,188 आर.टी.एक्ट

दिनांक

फर्द अहकाम

वादी की ओर से श्री ~~हनुमन्त कुमार~~ एडवोकेट ने दावा बावत डिवीजन आफ होलिंग व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत घारा 53,188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 14.11.2019 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

5100-5127
12-10-19

14.11.19

वादी वकील उपस्थित। श्री सुनील कुमार जिंदल Adv. ने प्रतिवादी नं. 1 से 6 की ओर से कालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी नं. 7, 9, 21, 23, 24, 25, 26, 27 की ओर से उपस्थित दर्ज की। शेष प्रतिवादी गण नं. 8, 10 से 20, 22, 28 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुई अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। कालतनामा व जबाब पेश करने दिनांक 12.12.19 को पेश हो।

काल

12.12.19

वकुलाय उप० प्रतिवादी नंबर 7, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल Adv. ने कालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 22 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है इसलिए इसका प्रस्ताव फा 09 R.7 पेश किया जाना चाहिए। दा० एवं जबाब दावा पेश करने दिनांक 9.1.20 को पेश हो।

9.1.20

वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी ~~युनायटेड~~ में पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 24.2.20 को पेश हो।

4.2.20

वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी ~~दोरे...प.प.प.प.प.~~ पत्रावली गतानुसार दिनांक 18.2.20..



ली
ालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

क्र

फर्द अहकाम

१०४
२५

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील व वादी कोई उपस्थित नहीं हुआ। बार-२ आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए वादी का दावा डिविजन ऑफ होल्डिंग व र्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में स्वारित किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुभार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(१५)